# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 2734/2025**

राहिल मंसूरी —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, झालावाड़।

—प्रत्यर्थीगण

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 08.05.2025
**आदेश की दिनांक** : 02.06.2025

**उपस्थित –**
अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.के. सिंगोदिया, अधिवक्ता

**समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को दिनांक 30.03.2025 के आदेश द्वारा राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक कार्यालय सेवा नियम 1999 (संक्षेप में नियम 1999) के प्रावधानों के अंतर्गत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद से रिक्ति वर्ष 2024–25 के लिए प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया तथा सी.बी.ओ. कुरावद, उदयपुर के कार्यालय में पदस्थापित किया गया। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी की पदोन्नति दिनांक 20.01.2025 की डीपीसी बैठक की अनुशंसा पर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद से प्रशासनिक अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स एल 12) के पद पर रिक्ति वर्ष 2024–25 के लिए विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति श्रेणी सी–एलडी के तहत दिनांक 24.01.2025 के आदेश के अनुसार की गई थी। (अनुलग्नक–2) पदोन्नति के बाद अपीलार्थी को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय अकलेरा, झालावाड़ में बने रहने की अनुमति दी गई और उसके बाद पोस्टिंग के उद्देश्य से वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–II जैसे विभिन्न पदों के लिए काउंसलिंग आयोजित की गई, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी के पद के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया

आयोजित नहीं की गई और अचानक आदेश दिनांक 30.03.2025 द्वारा अपीलार्थी को जिला उदयपुर में दूरस्थ स्थान पर पोस्टिंग का स्थान सौंपा गया। वरिष्ठ शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–II के पद के लिए काउंसलिंग के संबंध में दिनांक 06.02.2025 की सूचना। (अनुलग्नक–3) प्रत्यर्थी विभाग पदोन्नति पद पर नियुक्ति देने से पहले काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित करता है, जो कि 23.02.2016 के नोटिस से स्पष्ट है। (अनुलग्नक–4) यदि प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पोस्टिंग देने के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी तो अपीलकर्ता स्थायी विकलांग श्रेणी का उम्मीदवार होने के नाते प्राथमिकता के आधार पर पोस्टिंग पाने का हकदार है। अपीलार्थी 40 प्रतिशत से अधिक स्थायी विकलांगता से ग्रस्त है और इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया था। (अनुलग्नक–5) जिला झालावाड़ में प्रशासनिक अधिकारी का पद रिक्त है, लेकिन इसके बावजूद अपीलार्थी को उसकी स्थायी विकलांगता को नजरअंदाज करते हुए दूरस्थ स्थान पर पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी के पिता हृदय रोगी हैं तथा अनुसंधान केंद्र कोटा से उपचार ले रहे हैं। अपीलार्थी की मां की मृत्यु 28.08.2006 को हो गई थी और अपीलार्थी के परिवार में उसके वृद्ध पिता की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। (अनुलग्नक–6)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 30.03.2025 को संशोधन किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को नियुक्ति देने के उद्देश्य से काउंसलिंग की प्रक्रिया संचालित करने के निर्देश दिए जावे तथा अपीलार्थी से विकल्प आमंत्रित करने तथा उसे झालावाड़ जिले में प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति देने का भी निर्देश दिए जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 30.03.2025 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद से रिक्ति वर्ष 2024–25 के लिए प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया तथा सी.बी. ओ. कुरावद, उदयपुर के कार्यालय में पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी के पिता हृदय रोगी हैं तथा अनुसंधान केंद्र कोटा से उपचार ले रहे हैं। अपीलार्थी 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता से ग्रस्त है। अपीलार्थी की विकलांगता क स्थिति दृष्टिगत प्रकरण में हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त

आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत नियमानुसार नियत समयावधि में अभ्यावेदन का निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 30.03.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(विकास सीतारामजी भाले)**
**अध्यक्ष**